

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

दशरथ राम
निशेष निदेशक, गांगामिक शिक्षा

सेवा में,

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, २ कम्प्यूनेटी सेंटर,
नई दिल्ली-११००९२

पटना, दिनांक

विषय : विवेकानन्द विजन आइडियल पब्लिक स्कूल, बिगनानिकानगर यारी, देव-
आनन्दपुरा रोड, औरंगाबाद के अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त प्रिय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-२३८ दिनांक-०३.०४.२००६ के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा विवेकानन्द विजन आइडियल पब्लिक स्कूल, बिगनानिकानगर यारी, देव आनन्दपुरा रोड, औरंगाबाद को ₹१० बी० एस० ई० नई दिल्ली से रामबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय विवेकानन्द विजन इंटिग्रेटेड पिपुल्स फाउंडेशन के अधीन संचालित है। इस दूरस्त में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निर्वाचित सोसाइटी/न्यास के फैन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नम का उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को ३.३८ एकड़ भूमि ३३ वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपरकर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में १९ शिक्षक हैं। ₹१० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य ₹०५ से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे ₹१० बी० एस० ई०, नई दिल्ली का सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-२३८, दिनांक ०३.०४.२००६ में लालेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं।

Abhay Singh
Principal
Vivekanand Vision Ideal Public School
Bigananik Nagar Yari
Deo-Anandpura Road
Aurangabad (Bihar)

Nitin Chauhan
Manager
Vivekanand Vision Ideal Public School
Bigananik Nagar Yari
Deo-Anandpura Road
Aurangabad (Bihar)

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में शामिल का 25 प्रतीशत नामांकन बच्चों में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का जि शुल्क किया जायेगा तथा उनसे दृश्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आद्यत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय 2,00,000/- रुपया प्रतिवार्ष कम रहना को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/को० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रतीश परीक्षा/राखाल्टकार (यज्ञों और माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित शामिल न हो जाती है तो उन्हें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों वज्र चालना किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/को० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापर लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रारंभेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापर ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विद्यार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर विवेकानन्द विजन आइडियल पब्लिक स्कूल, बिगनानिकानगर यारी, देव-आनन्दपुरा रोड, औरंगाबाद को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दे जाती है।

अनुलग्नक :- जिली शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

दूर
(दशरथ राम)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

झापांक..... दिनांक.....

.....

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद को उनके पत्रांक 823 दिनांक 26.05.11 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

दूर

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

झापांक ५०१ दिनांक ३०/०६/२०११

प्रतिलिपि : प्राचार्य, विवेकानन्द विजन आइडियल पब्लिक स्कूल, बिगनानिकानगर यारी, देव-आनन्दपुरा रोड, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

दूर
३०/०६/११
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Manager
Vivekanand Vidyalaya Public School
Bignanik Nagar Yari
Deo-Anandpura Road
Aurangabad (Bihar)

Vivekanand Vidyalaya Public School
Bignanik Nagar Yari
Deo-Anandpura Road
Aurangabad (Bihar)